an>

Title: Need to protect the interests of differently-abled and people from economically poor section in the new railway catering policy.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती)ः सभी श्रेणियों के रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत लगभग 30000 स्टॉल/ट्रॉलियों के लाइसेंसियों की यूनिटों के समयबद्ध नवीनीकरण की घोषणा बजट 2017-18 में नहीं की गई है। इससे लगभग 3 लाख लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है तथा नई खान-पान नीति में रेलवे स्टेशनों पर गरीब वर्ग जो यात्रियों को खान-पान की सुविधा देते थे, आज काफी परेशान है तथा भारतीय रेल मे एकाधिकार को रोकने के लिए 10 यूनिट से ज्यादा यूनिट किसी को भी आवंटित नहीं की जानी चाहिए परन्तु नई खान-पान नीति में एक मण्डल में 5 यूनिट आवंटित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे एक ठेकेदार 70 डिवीजन में कुल मिलाकर 350 यूनिट ले सकेगा।

इस नीति में आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग, अनारक्षित एवं गरीब वर्ग के लोगों को आबंटन हेतु निविदा प्रणाली में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त वर्ग के लोग रेलवे द्वारा निर्धारित लाखों रू. की टर्न ओवर तथा आयकर रिटर्न एवं अन्य कठोर शर्तों को कैसे पूरा करेंगे। यह सोचने वाली बात है, सरकार को इसकी फिक्र करनी चाहिए तथा वाराणसी मण्डल में रेलवे बोर्ड के प्रपत्र संख्या 37 के अनुसार लाईसेंस फीस जमा कराने के आदेश को आधार मानते हुए वहाँ के ठेकेदारों ने मंडल एवं क्षेत्रीय रेलवे में प्रार्थना पत्र देकर बंद यूनिटों को खोलने का अनुरोध किया था, परन्तु उस पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया और न ही नई खान-पान नीति में इसकी कोई घोषणा की गई है, जिससे सभी में निराशा का भाव व्याप्त है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त विषयों पर सरकार ध्यान दे और इनकी समस्याओं का निदान करे।